न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर०ए०एस०
राजस्व प्रा० पत्र सं० : 14/2020
GCMS NO. : 2020/00044

–:: प्रार्थी ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. बादरराम पुत्र मांगूराम जाति–गुर्जर, निवासी–राबडियावास, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।		1. अमराराम पुत्र मंगलाराम जाति–गुर्जर, निवासी–राबडियावास, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0। 2. पटवारी पटवार हल्का राबडियावास तहसील–जैतारण जिला–पाली। 3. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी जैतारण जिला–पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः 04/06/2020

उपस्थितः. 1. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः 30/09/2021**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा राबडियावास, पटवार हल्का राबडियावास तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे वाके आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 40 रकबा 39 बीघा 10 बिस्वा आई हुई है। जिसमे सायल का 1/4 वां हक हिस्सा आता है तथा उसी अनुसार मौके पर काबिज कास्त एवं उपयोग उपभोग सायल बिना किसी रोकटोक के करता चला आ रहा है। शेष हिस्सा गैरसायलान् संख्या 1 का आता है। नकल जमाबन्दी एवं ट्रेस नक्शा व नजरी नक्शा प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। जिसे प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। सायल अपने हक हिस्सेनुसार मौके पर काबिज कास्त एवं उपभोग उपभोग है तथा अपने हक हिस्से की भूमि को खाद–बीज डालकर निराई गुडाई करके एवं मेहनत करके अपने हिस्से की भूमि को कृषि योग्य बनाता रहा है तथा उक्त कृषि भूमि रास्ते से जुड़ी है तथा कई बार सायल ने उक्त अपने हिस्से की कृषि भूमि पर सरकारी एवं अर्द्धसरकारी योजनाओ का फायदा लेने के लिए एवं किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने का प्रयास किया तो उसके लिये अपना हिस्सा अलग से बंटवाडा होना चाहिए जिस पर पटवारी हल्का राबडियावास ने गैरसायलान् संख्या एक की सहमति के कथन किये [illegible] सायल दिनांक 10/5/2020 को गैरसायलान् संख्या एक से [illegible] बंटवाडा करवाने का निवेदन किया तो गैरसायलान् संख्या [illegible] करवा[illegible] स्पष्ट इन्कार

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:49:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

कर दिया तथा एलानिया कथन किया की मै रास्ते से जुड़े मुख्य भू भाग को बिना बंटवाडा करवाये ही अपनी ताकत एवं तानाशाही के बल पर किसी अजनबी क्रेता भू माफिया को बेच दुगां तथा तुम्हे जोर जबरदस्ती मौके से बेदखल कर दुगां तथा किसी सुरत मे बंटवाडा होने दुगां जबकि भूमि का बंटवाडा बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् से किया जाना आवश्यक है तथा इन तमाम परिस्थितियो एवं मौके तथा रेवेन्यु रेकर्ड की स्थितिनुसार व गैरसायलान् संख्या एक के कथनानुसार सायल अपनी उक्त भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाने का अधिकार होने से एवं अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद बाबत् बंटवाडा का विरूद्ध गैरसायलान् के सादर पेश है। गैरसायलान् संख्या एक सायल को सायल के हक हिस्से की कृषि भूमि से एवं काबिज उपयोग–उपभोग से जबरदस्ती बेदखल करने को आमादा है। इस बाबत दिनांक 10/05/2020 को गैरसायलान् संख्या एक ने सायल को ऐलानिया कथन किया कि वह उक्त कृषि भूमि के मुख्य भू–भाग को किसी अजनबी को बेचान कर देगा व सायल को ताकत के बल पर तानाशाही के बल पर जोर जबरदस्ती बेदखल कर देगा एवं मौके की स्थिति मे रद्धोबदल कर देगा यदि गैरसायलान् अपने इन ऐसे नापाक इरादो मे सफल हो जाता है तथा सायल को मौके से बेदखल कर देता है या सायल के काबिज उपयोग उपभोग मे दखलन्दाजी पैदा करता है या निराई गुडाई फसल कटाई तविया आदि बिना बंटवाडे के ही हक हिस्से से अधिक भूमि पर कर देता है तो सायल को असीम क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं हो सकेगी एवं होने वाली क्षति का आंकलन मुद्रा मे नही किया जा सकेगा तब सायल गैरसायलान् द्वारा किये जा रहे ऐसे अवैधानिक कार्यों का विरोध करेगा जिससे मौके पर विवाद होगा तथा मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी ऐसी विषम परिस्थितियो मे सायल के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह गैरसायलान् द्वारा किये जा रहे अवैधानिक कार्य एवं रहन बेचान बक्सीसी अन्य हस्तान्तरण को रूकवाने का अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान् के सादर पेश है। तथ्यो, परिस्थितियो, दस्तावेजात एवं मौके पर सायल का उसके हक हिस्से व बंट की भूमि पर कब्जा एवं उपयोग उपभोग से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन हर दृष्टिकोण से सायल के पक्ष मे है यदि गैरसायलान् जोर जबरदस्ती लाठी लकडी व तानाशाही के बल पर बिना कानूनी बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाये उक्त कृषि भूमि को किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि कर देते है एवं सायल को उसके कब्जे से बेदखल कर देते है तो सायल को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही होगी एवं सायल अपने जायज हक हकूको एवं खातेदारी काश्तकारी अधिकारों से हमेशा हमेशा के लिये महरूम हो जायेगा एवं विविध प्रकार की पेचीदगिया बढेगी एवं मु[illegible]जी होगी इसलिए गैरसायलान् द्वारा किये जा रहे अवैधानिक कृत्यो को [illegible] बाबत् सायल के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से य[illegible]निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:49:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

सादर पेश है। अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि सरहद मौजा राबडियावास पटवार हल्का राबडियावास तहसील जैतारण जिला पाली राज० मे वाके आराजी खसरा नम्बर 40 रकबा 39 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि मे से सायल के हक हिस्से एवं काबिज उपयोग उपभोग मे दखलन्दाजी नहीं करे, सायल अपने हक हिस्से की भूमि में अपनी मनमर्जी अनुसार तमाम कार्य करे या करावे तो उसे गैरसायलान् स्वयं या उसके नौकर चाकर हाली एजेन्ट रिश्तेदार आदि किसी प्रकार से बाधा अडचन पैदा नही करे, निर्माण आदि नही करे, फसल आदि नही बोए तथा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रहन बेचान बक्सीसी अन्य हस्तान्तरण खुर्द बुर्द एवं निराई गुडाई फसल कटाई कृषि कार्य आदि से गैरसायलान् को रोका जावे तथा वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौके की स्थिति को यथास्थिति बन रखने के आदेश वादपत्र के अंतिम निस्तारण तक प्रदान करावे। अन्य कोई सहायता प्रार्थनापत्र की रूह से सायल प्राप्त करने का अधिकारी हो तो दिलायी जावे।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, जो सा.मि. है। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित भूमि अनुसार राजस्व भूमि आई हुई होने के कथन सही होने से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित कथन असत्य होने से अस्वीकार है। इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि वर्षो पूर्व से सायल एवं गैरसायल के बीच बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के नाप चौप करते हुये अलग–अलग बंटी हुई है एवं माफिक बंटवाड़े के अनुसार जवाब देहन्दाग ने अपने हक हिस्से में आई हुई भूमि में काली मिट्टी एवं देशी खाद आदि डालकर उपजाऊ एवं बहुपयोगी बनाया है। इस प्रकार से जवाब देहन्दा की भूमि मौके पर अलग से आई हुई है तथा पक्षकारों के बीच भूमि के नाप चौप व बंटवाड़े को लेकर कोई विवाद नही है। इस पद में सायल ने विवाद होने का दिवस दर्शाने बाबत दिनांक शब्द अवश्य लिखा है लेकिन ऐसी किसी तारीक का अंकन नही किया है। इस प्रकार से सायल ने अपने इस प्रार्थना पत्र में विवाद होने से सम्बन्धित तथ्य भी सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में झूठे उल्लेखित किये है तथा मौके पर विवाद होने एवं वाद बाहुल्यता होने से सम्बन्धित आरोप कतई गलत होने से अस्वीकार है। इस भूमि के सम्बन्ध में सायल किसी भी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। न ही जवाब देहन्दा अपने खातेदारी भूमि के हक हिस्से को कई पर बैचान हस्तान्तरण करना चाह रहा है। सायल ने जवाब देहन्दा के विरूद्ध झूठे आरोप लगाये है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में वर्णित कथन कतई अ[illegible]ठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। जब सायल गैरसायल की [illegible] अनुसार मौके पर अलग–अलग बंटी हुई है तो सायल व गै[illegible]लेकर कोई विवाद भी नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:49:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

है। उसके बावजूद भी सायल बद्धनियतिवश सड़क के चिपती हुई बहुमुल्य भूमि स्वयं अकेला ही लेते हुये जवाब देहन्दा को पीछे सड़क से दूर धकेलना चाहता है व इसी बदनियतिवश सायल ने जवाब देहन्दा पर झूठे आरोप लगाये है। वास्तविकता में भूमि के नाप चौप व बंटवाड़े को लेकर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नही है। तो वादबहुल्यता होने व सायल को अपूर्णीय क्षति होने से सम्बन्धित आरोप भी कतई गलत है। इसलिये भी सायल जवाब देहन्दा के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का कतई अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 में वर्णित कथन व लगाये गये आरोप कतई असत्य व झूठे व बेबूनियाद होने से अस्वीकार है। जवाब देहन्दा के हक हिस्से भूमि वर्षो पूर्व से अलग अलग बंटी हुई है। उसी माफिक जवाब देहन्दा अपनी भूमि पर काश्त करता आ रहा है। दिनांक 14.05.2020 को सायल ने यदि पुलिस थाना में कोई सूचना दी है तो वह कतई असत्य एवं झूठी होने से अस्वीकार है। साथ ही जवाब देहन्दा को 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार करने के आरोप भी सायल ने झूठे लगाये है। इस प्रकार से समस्त तथ्यो व परिस्थितियो एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्ठ्या मामला व सुविधा का सन्तुलन सायल की बजाय जवाब देहन्दा के पक्ष में है। यदि इस प्रकरण में किसी भी प्रकार का स्थगन जारी किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति भी जवाब देहन्दा को होगी। सायल ने इस प्रार्थना पत्र में झूठे तथ्यों का समावेश करते हुये यह निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावें। उक्त तथ्यों के अलावा इस पद में वर्णित अन्य तमाम तथ्य असत्य होने से अस्वीकार है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात के पेश कर निवेदन हे कि सायल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जावें।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा हस्तगत प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन में मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः–

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** प्रार्थी के वाद–पत्र मय दस्तावेजात एवं हस्तगत प्रार्थना–पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में वाद बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर दौराने विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की है। पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी के भू–अभिलेखीय दस्तावेजात यथा जमाबंदी संवत् 2073–76 ग्राम राबडियावास के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि अविभाजित संयुक्त सह–खातेदारी की भूमि है। साधारणतः अविभाजित संयुक्त खातेदारी भूमि के संबंध में प्रत्येक सह–खातेदार का भूमि के प्रत्येक इंच पर कब्जा व स्वामित्व माना जाता है। अप्रार्थी गैरसायल संख्या 01 वादग्रस्त आराजी में बतौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:49:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

सह–खातेदार अभिलिखित है। ऐसे मामलों में बंटवाडा ही सर्वोत्तम उपाय है। प्रार्थी अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में विफल रहे है। अतः यह बिंदू प्रार्थी के विरुद्ध साबित होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः**– प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरुद्ध साबित हुआ है। साथ ही अविभाजित सह–खातेदारी की आराजी में प्रत्येक सह–खातेदार का अपने हिस्से तक सुविधा का संतुलन निहित होना माना जाता है। अभिलिखित सह–अभिधारी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से इन्हें अपने कृषि भूमि के उपयोग/उपभोग करने में निश्चित ही असुविधा कारित होगी। प्रार्थी यह साबित करने में विफल रहे है कि किस प्रकार सुविधा का संतुलन केवल प्रार्थी के पक्ष में है। अतः यह बिंदू भी प्रार्थी के विरुद्ध साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः–** प्रथम दोनों बिंदू प्रार्थी के विरुद्ध साबित हुए है। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 अभिलिखित सह–अभिधारी है। सह–खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य सह–खातेदारान के विरुद्ध यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इन्हें अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग/उपभोग से वंचित होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 01 को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे अपूरणीय क्षति का बिंदू प्रार्थी के पक्ष में साबित होता हो। अतः यह बिंदू प्रार्थी के विरुद्ध साबित होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी/वादी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),
जैतारण जिला–पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 30/09/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),
जैतारण जिला–पाली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:49:18 IST
Reason: SelfAttested